

राजस्थान सरकार  
 न्यायालय भू-अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - भीलवाडा  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प बनेडा

- आदेश :-

प्राथी के खाता दुरस्ती' प्राधना पत्र एवं पटवारी काला व भू-अ.नि. बनेडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की भाग 138 के अनुसरण में ग्राम खानापुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में खाता संख्या 41 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जातें हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>खानापुरा</u>	<u>41</u>	<u>डे.क. पाले खानापुरा</u>	<u>डे.क. पाले खानापुरा</u>

(रतनसाल रेगर)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट  
 भू-अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)  
 बनेडा जिला - भीलवाडा

क्रमांक :- 209/2018

दिनांक :- 3/5/18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये ।
2. प्राथी श्री श्री डे.क. पाले खानापुरा को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली

(रतनसाल रेगर)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट  
 भू-अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)  
 बनेडा जिला - भीलवाडा